



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)

copy  
एफोएसएच

जहाँ है हरियाली ।  
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@folko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/दिल्ली/07/01/2014 /1246

दिनांक- 24.11.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव (पर्या० एवं वन)  
दिल्ली राज्य सरकार,  
छठवा स्तर, सी-अनुभाग,  
दिल्ली सचिवालय, आई०पी० इस्टेट,  
नई दिल्ली-110002

2028/Secy/aw  
02/12/14  
APCCF  
20/11

Ms. Suresh  
3.12

विषय: मेट्रो रेल ट्रांसिट सिस्टम (एम०आर०टी०एस०) द्वारा विनोद नगर डिपो के निर्माण हेतु 19.90 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक- 1(145)/स्था०/सी०सी०एफ०/एस०ए०जी०मीटिंग/2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक- 11/136/पी०ए०/सी०सी०एफ०/11-12/डी०एम०आर० पी-111/भाग-1/पार्ट-1/4875, दिनांक- 30.09.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 13.10.2014 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र मेट्रो रेल ट्रांसिट सिस्टम (एम०आर०टी०एस०) द्वारा विनोद नगर डिपो के निर्माण हेतु 19.90 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1519 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 19.90 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर को है जिसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय

365/APCCF  
3-12-14

के संबंधित खाते (एकाउन्ट) में कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाए एवं मद्दवार जमा की गयी धनराशि का विवरण ( एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण ) तथा जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
9. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन सड़क की बाहरी सीमा पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,



(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, दिल्ली राज्य सरकार, वन एवं वन्यजीव विभाग, ए-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली-110002
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरी वन प्रभाग, दिल्ली राज्य सरकार, कमला नेहरू रीज, दिल्ली-110007
4. डी0सी0ई0 (सिविल), डी0ई0एम0आर0सी0, सीडबेड पार्क, गुरुद्वारा के पीछे, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92
5. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (के0)